

**महालेखाकार (लेखापरीक्षा II), का कार्यालय, केरल**  
**Office of the Accountant General (Audit II), Kerala**  
**प्रेस ब्रीफ / Press Brief**

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की जीएसटी के तहत ई-वे बिल प्रणाली के निष्पादन लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट - केरल सरकार (वर्ष 2025 की रिपोर्ट संख्या 2) को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसार 9 अक्टूबर 2025 को केरल विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

The Report of the Comptroller and Auditor General of India on Performance Audit of the of E-way Bill system under GST – Government of Kerala (Report No 2 of 2025) has been laid on the table of the Kerala Legislature on **9<sup>th</sup> October 2025** in accordance with Article 151(2) of the Constitution of India.

जीएसटी के तहत ई-वे बिल (ईडब्ल्यूबी) प्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य ईडब्ल्यूबी तंत्र की प्रभावशीलता की जांच करना था ताकि राजस्व हित की रक्षा की जा सके और ईडब्ल्यूबी प्रावधानों को लागू करने में विभाग की निवारक गतिविधियों की दक्षता और प्रभावशीलता का आकलन किया जा सके। 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2022 की अवधि से संबंधित ईडब्ल्यूबी लेनदेन को इस निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल किया गया था। कुछ प्रमुख अवलोकन इस प्रकार हैं:

The Performance Audit (PA) on E-way Bill (EWB) System under GST was undertaken to examine effectiveness of EWB mechanism in protecting revenue interest of the Government and the efficiency and effectiveness of the preventive activities of the Department in enforcing EWB provisions. EWB transactions pertaining to the period from 1 April 2018 to 31 March 2022 were covered in this PA. Some of the major observations are as follows:

- सिस्टम ने रिटर्न दाखिल न करने वालों और उन करदाताओं द्वारा ईडब्ल्यूबी उत्पन्न करने की अनुमति दी, जिनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप सिस्टम डिजाइन में कमियों के कारण राजस्व में घटाव हुआ।

The system allowed generation of EWBs by non-filers of returns and by taxpayers whose registrations were cancelled which resulted in leakage of revenue due to shortcomings in system design.

**(Para 2.2.2)**

- ई-वे बिल कॉमन पोर्टल में सत्यापन नियंत्रण की कमी के कारण सिस्टम ने एक ही चालान संख्या के लिए कई ईडब्ल्यूबी उत्पन्न करने की अनुमति दी।

The system allowed generation of multiple EWBs for the same invoice number due to lack of validation control in the E-Way Bill common portal.

**(Para 2.2.3)**

- यह प्रणाली करदाताओं की संरचना द्वारा माल के अंतर-राज्यीय और राज्यांतर आंदोलनों के बीच अंतर नहीं कर सकी और दोनों मामलों में ईडब्ल्यूबी के उत्पादन की अनुमति दी।

सिस्टम ने शून्य रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं द्वारा ईडब्ल्यूबी के बाद के उत्पादन की अनुमति दी, जिससे राजस्व का घटाव हुआ।

The system could not distinguish between inter-state and intra-state movements of goods by composition taxpayers and permitted generation of EWBs in both cases. The system allowed subsequent generation of EWBs by taxpayers who filed nil Returns leading to leakage of revenue.

**(Para 2.2.4 & 2.2.5)**

- ईडब्ल्यूबी तंत्र में सत्यापन नियंत्रण की कमी के कारण कई चालानों को मिलाकर एकल ईडब्ल्यूबी उत्पन्न करने की अनुमति प्रणाली ने दी।

The system allowed generation of single EWB by clubbing multiple invoices due to lack of validation control in EWB mechanism.

**(Para 2.2.6)**

- ध्यान दी गई विसंगतियाँ उन उदाहरणों तक फैली हुई थीं जहां ईडब्ल्यूबी से संबंधित चालान जीएसटीआर-1 में नहीं बताए गए थे, और इसके विपरीत, सटीक कर रिपोर्टिंग के बारे में चिंताएं बढ़ रही थीं। इसके अलावा, 50,000 से अधिक के आवक आपूर्ति में ईडब्ल्यूबी की कमी थी।

The discrepancies noticed extended to instances where invoices related to EWBs were not reported in GSTR-1, and vice versa, raising concerns about accurate tax reporting. Furthermore, a notable number of inward supplies exceeding ₹50,000 lacked EWBs.

**(Para 2.2.7)**

- ईडब्ल्यूबी लेनदेन के आधार पर पहचाने गए करदाताओं के रिटर्न से आईटीसी के बेमेल होने की प्रवृत्ति और कर देनदारियों को सेट करने के लिए अतिरिक्त क्रेडिट का उपयोग करने वाले करदाताओं की पर्याप्त संख्या का पता चला। इसके अलावा, निष्क्रिय कंसाइनी करदाताओं को ईडब्ल्यूबी जारी करने वाले करदाताओं को कर भुगतान से बचने के रूप में पहचाना गया था। जिन करदाताओं के पास एक ही पैन के साथ कई पंजीकरण हैं, उनके संबंध में अनुपालन संबंधी कमियां देखी गईं।

The returns of the taxpayers identified based on EWB transactions, revealed a trend of mismatch of ITC and a substantial number of taxpayers utilizing the excess credit to set off their tax liabilities. Additionally, taxpayers who issued EWBs to inactive consignee taxpayers were identified as evading tax payments. Compliance deficiencies were noticed in respect of the taxpayers who are having multiple registration with same PAN.

**(Para 2.2.8, 2.2.9 & 2.2.10)**

- एनआईसी द्वारा उत्पन्न विश्लेषणात्मक रिपोर्टों का उपयोग विभागीय अधिकारियों द्वारा संभावित कर चोरी के मामलों की पहचान करने के लिए नहीं किया गया था। इससे कर अनुपालन मामलों का पता नहीं चल पाया, जैसे कि अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा माल का

आवागमन, करदाताओं द्वारा उच्च मूल्य के लेनदेन का सौदा और ईडब्ल्यूबी के उत्पादन में उच्च जोखिम पैटर्न।

The Analytical Reports generated by NIC were not used by departmental officers to identify potential tax evasion cases. This led to the non-detection of tax compliance cases like movement of goods by unregistered persons, taxpayers dealing high value transactions and high risk patterns in generation of EWBs.

**(Para 2.3)**

- संक्षेप और अंतिम निरीक्षण रिपोर्ट दोनों के लिए ऑनलाइन रिकॉर्डिंग की अनुपस्थिति पारगमन में माल को बाधित करने में निर्धारित नियमों से विचलन और उच्च अधिकारियों द्वारा निगरानी की कमी को इंगित करती है। रिपोर्ट को ऑनलाइन रिकॉर्ड करने में विफलता, ईडब्ल्यूबी सत्यापन और निगरानी गतिविधियों के स्वचालन में बाधा डालती है।

The absence of online recording for both the summary and final inspection reports indicate a deviation from the prescribed rules in intercepting goods in transit and a lack of monitoring by higher authorities. Failure to record reports online, hinders the automation of EWB verification and monitoring activities.

**(Para 3.3.1)**

- विभाग ने पारगमन में माल के अवरोधन के लिए दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया।  
The department did not follow the guidelines for interception of goods in transit.

**(Para 3.3.2)**

- वाहन रोके जाने पर दर्ज मामलों की जानकारी आगे की कार्रवाई के लिए राज्य / केंद्रीय अधिकार क्षेत्र के अधिकारियों को नहीं दी गई थी।  
The information on cases booked on interception of vehicles was not passed on to the State/ Central jurisdictional authorities for further action.

**(Para 3.4.3)**